

प्रेषक,

मो० जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक, मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में "नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ में तितली पार्क" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 22.62 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्र संख्या-पी-975/36-टी-46(ल०जू०) दिनांक 06 मार्च, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में "नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ में तितली पार्क" योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 22.62 लाख की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2016/बी-1-746/दस-2016- दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित लेखाशीर्षक तथा मानकमदवार निम्नानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रूपये में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिडियाघर-	
08- नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ में तितली पार्क-	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100000
योग- राजस्व लेखा-	100000
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
111-चिडियाघर-	
10- नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान लखनऊ में तितली पार्क -	
24-वृहत निर्माण कार्य	1562000
42-अन्य व्यय	600000
योग पूंजी लेखा-	2162000
कुल योग:-	2262000

(रू० बाइस लाख बासठ हजार मात्र)

- 1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- 3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
- 4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
- 6- स्वीकृत धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-497-36/टी-46)ल0जू0 दिनांक (08 नवम्बर, 2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जाय।
- 7- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2006 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)

संयुक्त सचिव

संख्या-2668(1)/चौदह-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
- 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 8- नियोजन अनुभाग-3
- 9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)

संयुक्त सचिव